



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112021-231496
CG-DL-E-30112021-231496

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4541]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 2021/अग्रहायण 9, 1943

No. 4541]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021/AGRAHAYANA 9, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2021

का.आ. 4911(अ).—राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) की धारा 1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा नवम्बर, 2021 के 30वें दिन को उस तिथि के रूप में नियत करती है, जिस दिन से उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे:-

1. धारा 15 की उप धारा (1), (2), (4) और (5); तथा
2. धारा 24

[फा. सं. 15/10/2021-आईएफ-1]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2021.

S.O. 4911(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021), the Central Government hereby appoints the 30th day of November, 2021, as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force:—

- (1) sub-sections (1), (2), (4) and (5) of section 15; and
- (2) section 24.

[F. No. 15/10/2021-IF-I]

LALIT KUMAR, Economic Adviser